UPVR050026722024

न्यायालय : सिविल जज (सीनियर डिविजन), वाराणसी।

उपस्थित – हितेश अग्रवाल .....उ.प्र. न्यायिक सेवा,

उत्तराधिकार वाद संख्या -303/2024

श्रीमती मधुलता चौबे----- बनाम-------श्रीमती दीपांशु चौबे

निर्णय

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व तिथि पर प्रार्थनापत्र 4ग मय शपथपत्र 5ग पर सविस्तार सुना जा चुका है।

2. प्रार्थिनी श्रीमती मधुलता चौबे की ओर से प्रार्थनापत्र 4ग स्व० शरद कुमार चौबे की मृत्यु दिनांक 24.09.2023 को हो जाने के उपरान्त मृतक के भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता संख्या 07535292) के अभिकर्ता समूह बीमा, उपादान एवं अन्य मद की कुल देय धनराशि मु० 13,20,000/-(तेरह लाख बीस हजार) रूपये के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. उक्त संबंध में मुनादी कराई गई। समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया। विपक्षी को सूचनापत्र निर्गत किया गया। प्रार्थिनी श्रीमती मधुलता चौबे द्वारा मृतक का मृत्य प्रमाणपत्र कागज संख्या 7ग, वारिसान प्रमाणपत्र कागज संख्या 24ग, भारतीय जीवन बीमा के शाखा प्रबन्धक की आख्या कागज संख्या 20ग के प्रपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रार्थिनी श्रीमती मधुलता चौबे का सशपथ कथन है कि वह स्व० शरद कुमार चौबे की पत्नी है। प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र पर मृतक शरद कुमार चौबे की मृत्यु दिनांक 24.09.2023 को होना दर्शाया गया है। पत्रावली पर दाखिल वारिसान प्रमाणपत्र के अनुसार प्रार्थिनी श्रीमती मधुलता चौबे के अतिरिक्त श्रीमती दिपांशु चौबे भी मृतक के वारिस हैं, उपरोक्त वारिसान की तरफ से अनापत्ति प्रार्थनापत्र 14ग मय शपथपत्र 15ग दिपांशु चौबे दाखिल कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित धनराशि का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रार्थिनी के पक्ष में निर्गत किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। गजट प्रकाशन एवं मुनादी के उपरान्त मृतक द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

5. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4ग निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4ग स्वीकार किया जाता है। मृतक के भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता संख्या 07535292) के अभिकर्ता समूह बीमा, उपादान एवं अन्य मद की कुल देय धनराशि मु० 13,20,000/-(तेरह लाख बीस हजार) रूपये के बाबत प्रार्थिनी द्वारा पर्याप्त स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर उसके पक्ष में निम्नलिखित शर्त के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जावे:-

Digitally signed by HITESH AGRAWAL
Date: 2025.01.17 10:22:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

1- प्रार्थिनी की ओर से इस आशय की फोटो युक्त अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें कि यदि किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि, जिसके बाबत यह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है, के विषय में अन्यथा कोई आदेश पारित किया जाता है या अन्य किसी का हक स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें अदा की गयी धनराशि उक्त आदेश के अधीन होगी तथा वह समस्त धनराशि न्यायालय में जमा कर देगी। यदि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी होने के पूर्व किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इसी धनराशि के परिपेक्ष्य में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रोबेट या लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा इस आदेश के क्रम में जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र विधि मान्य नहीं होगा। मुंसरिम स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में अपनी आख्या नियमानुसार प्रस्तुत करें।

दिनांक- 15.01.2025

(हितेश अग्रवाल),
सिविल जज (सीनियर डिविजन),
वाराणसी।
(J.O.Code-UP2060)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 15.01.2025

(हितेश अग्रवाल),
सिविल जज (सीनियर डिविजन),
वाराणसी।
(J.O.Code-UP2060)